न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 242/2018 (2018/00427)

1. जीवन सिंह पुत्र कल्याण सिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी सांकरिया तहसील व थाना केकड़ी उप तहसील कादेड़ा जिला अजमेर राज.।
2. सज्जन कंवर पत्नी जीवन सिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी सांकरिया तहसील व थाना केकड़ी उप तहसील कादेड़ा जिला अजमेर राज.।

———वादीगण

बनाम

1. बनजी सिंह पुत्र भगवत सिंह
2. पृथ्वीसिंह पुत्र भगवत सिंह
3. गोरधन सिंह पुत्र भगवत सिंह
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र बनजी सिंह
5. शक्तिसिंह पुत्र बनजी सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण सांकरिया तहसील व थाना केकड़ी उप तहसील कादेड़ा जिला अजमेर राज.।

——— प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. श्री किशन सिंह राजावत—वादी अधिवक्ता।
2. पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी।

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 31.10.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,209राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम सांकरिया तहसील केकडी मे स्थित है। आराजी निम्न प्रकार हैः—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
225—198	2622	1.0000	बारानी 1
	2627	0.2000	बारानी 1
652—610	2628	0.3200	बारानी 1
651—528	2629	0.3100	बारानी 1

उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीया है। उक्त आराजीयात में वादीगण के अलावा किसी भी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। वादीगण ही उक्त आराजीया में फसल काश्त कर पैदावार प्राप्त करते हैं। वादीगण ने उक्त वर्णित आराजीयात में जंगली जानवारों, पशुओं आदि से फसल की सुरक्षा के लिए सिमेन्ट के पोल लगाकर जालियां लगा रखी हैं। सभी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 सिमेन्ट के पोल व जालियों को उखाड़ देते हैं। वादीगण को नुकसान पहुँचाते हैं। सिमेन्ट के पोल व जालियों को चोरी छिपे ले जाते हैं। दिनांक 20.04.2018 को सभी प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी पर एक राय होकर आए व वादीगण की सीमेन्ट के पोल खम्बे व जालियों को उखाड़ने की धमकियां दीं वादीगण को नुकसान कारित करने की धमकियां दी व सभी प्रतिवादीगण ने वादीगण के शांति पूर्व कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजी के उपयोग उपभोग मे अकारण बाधा उत्पन्न करने लगे। वादीगण सभी प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य नहीं करने बाबत् मना किया गया। सभी प्रतिवादीगण वादीगण के साथ मारपीट करने लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा होते हैं। माँ बहन

Scanned with OKEN Scanner

की गालियां निकालते हैं। जान से मारने व हाथ पैर तोड़ देने की धमकियां देते हैं। सभी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य तथा उपयोग उपभोग में अकारण बाधा पहुँचाते हैं। जिस कारण सभी प्रतिवादीगण को वादीगण की वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी के खातेदारी कब्जे काश्त स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक हव न्याय संगत है। साथ ही सभी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी में जंगली जानवरों, पशुओं आदि से फसल की सुरक्षा के लिए लगा रो सिमेन्ट के पोलत्र जालियों आदि को नहीं हटावें ना ही उखाड़ें, तथा उठाकर नहीं ले जावें। वादीगण को किसी भी प्रकार क्षति कारित नहीं करें शान्तिपूर्वक कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहुँचावें। वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में है। यदि सभी प्रतिवादीगण को वादीगण की वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में कब्जे काश्त स्वामित्व उपयोग उपभोग में अकारण बाधा पहुँचाने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया व सिमेन्ट के पोल खम्बे जालियों आदि को उखाड़ने, उठाकर ले जाने व नुकसाल पहुँाने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी बहुलवाद कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं हो सकेगी। वाद पत्र प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 20.06.2018 को हुआ जब सभी प्रतिवादीगण वादीगण की वाद पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी की खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व उपयोग उपभोग में अकारण बाधा पहुंचाने लगे, जब लड़ाई झगड़ज्ञ करने लगे, जाने से मारने की धमकियां देने लगे, वादीगण की आराजी पर लगे सिमेन्ट के पोल, खम्बे, जालियां आदि को उखाड़ने की धमकियां दीं उठाकर ले जाने की धमकियां दीं उत्पन्न हुआ अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अतः प्रतिवादीगण व उसके नौकर चाकर, हाली, सीरी, सगे सम्बन्धी, रिश्तेदारी आदि को वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में अकारण कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य उपयेग उपभोग में बाधा नहीं पहुंचाने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जावें। प्रतिवादीगण आदि को वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित वादीगण की आरजी में जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए लगाये गये सिमेन्ट के पोल, खम्बे, जालियां आदि को नहीं हटावें, उखाड़कर ले जावें वादीगण की आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करें, वादीगण को किसी प्रकार नुकसान कारित नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली व जवाब हेतु कई अवसर देने के उपरांत उपस्थित नही हुए उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर जवाब बंद किया गया। पत्रावली शहादत वादी मे वादी जीवन सिंह ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर ए टू बी हस्ताक्षर किये गये तथा प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2072–75, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2072–75, प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत् अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्शित किये। जिरत प्रतिवादी शून्य रही। अन्तिम बहस सुनी गई।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा डिग्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है। तथा वाद वर्णित आराजी वाके ग्राम सांकरिया तहसील केकडी के खाता संख्या 225–198 के खसरा संख्या 2622, 2627 रकबा 1.00, 0.20 हैक्टर व खाता संख्या नया–पुराना 652–610 के खसरा संख्या 2628 रकबा 0.32हैक्टर व खाता संख्या नया–पुराना 651–528 खसरा संख्या 2629 रकबा 0.31हैक्टर पर प्रतिवादीगण व उनके रिश्तेदार, एजेन्ट को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजीयात के कब्जे काष्त, उपयोग, उपभोग, में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी अपनी आराजीयात से बेदखल हो तथा न ही आराजीयात को नष्ट–भ्रष्ट करे हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

1. जीवन सिंह पुत्र कल्याण सिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी सांकरिया तहसील व थाना केकड़ी उप तहसील कादेड़ा जिला अजमेर राज.।
2. सज्जन कंवर पत्नी जीवन सिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी सांकरिया तहसील व थाना केकड़ी उप तहसील कादेड़ा जिला अजमेर राज.।

——वादीगण

बनाम

1. बनजी सिंह पुत्र भगवत सिंह
2. पृथ्वीसिंह पुत्र भगवत सिंह
3. गोरधन सिंह पुत्र भगवत सिंह
4. लक्ष्मण सिंह पुत्र बनजी सिंह
5. शक्तिसिंह पुत्र बनजी सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण सांकरिया तहसील व थाना केकड़ी उप तहसील कादेड़ा जिला अजमेर राज.।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बरः— राजस्व वाद 242/2018 (2018/00427)
निर्णय दिनांकः—31.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री किशन सिंह राजावत वकील वादी व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है आराजी ग्राम सांकरिया तहसील केकडी के खाता संख्या 225—198 के खसरा संख्या 2622, 2627 रकबा 1.00, 0.20 हैक्टर व खाता संख्या नया—पुराना 652—610 के खसरा संख्या 2628 रकबा 0.32हैक्टर व खाता संख्या नया—पुराना 651—528 खसरा संख्या 2629 रकबा 0.31हैक्टर पर प्रतिवादीगण व उनके रिश्तेदार, एजेन्ट को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजीयात के कब्जे काष्त, उपयोग, उपभोग, में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी अपनी आराजीयात से बेदखल हो तथा न ही आराजीयात को नष्ट—भ्रष्ट करे हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चीज .....मुबलिक.....बाबत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....

.....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2022 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

मुहर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर.			फीस कमिष्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	——	——	मुतफरिक	——	——
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner